



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271681
CG-DL-E-10042026-271681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1754]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1754]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

का.आ. 1823(अ).— राष्ट्रपति ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (क) के साथ पठित इस अनुच्छेद के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामनिर्दिष्ट सदस्य के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पद को भरने के लिए, श्री हरिवंश को राज्य सभा में नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट श्री हरिवंश का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. एच.-11024/3/2026-वि.II]

अकाली वी. कोंधे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2026

S.O. 1823(E).— Whereas the President, in exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India read with clause (3) of that article, has nominated Shri Harivansh to the Council of States to fill the vacancy caused due to the retirement of a nominated member;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of Shri Harivansh, nominated by the President, is hereby notified for general information.

[F. No. H-11024/3/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Jt. Secy. & Legislative Counsel